न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी— राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस)
मुकदमा नम्बर :—06 / 2002
निर्णय दिनांक :— 24.08.2020

प्रार्थी(वादी)—

राजस्थान सरकार जरिये— तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी)

—: विरूद्ध :—

अप्रार्थीगण(प्रतिवादीगण)—

1. पूना, सविया पुत्र पदा जाति—मेणा निवासी—कोट सोलकियान
2. ताराराम पुत्र मोतीजी मेगवाल के कायम मुकाम
   2/1 छगनीदेवी पत्नी ताराराम
   2/2 हीरालाल पुत्र ताराराम
   2/3 महेन्द्र पुत्र ताराराम
   2/4 पुष्पा पुत्री ताराराम
   2/5 सन्तोष पुत्री ताराराम
   2/6 भावना पुत्री ताराराम निवासीगण—कोट सॉलकियान
3. दुर्गाराम पुत्र लछाजी मेगवाल निवासी—बासनी तहसील—खारची

—: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा— 175 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 :—

उपस्थिति—

1. वादी प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी।
2. अप्रार्थी हीरालाल उपस्थित।

निर्णय **दिनांक :— 24.08.2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना—पत्र वाद अन्तर्गत धारा— 175 राज0काश्त0.अधि0 के तहत इस आशय का पेश कर निवेदन किया कि राजस्व अभियान के दौरान प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकेर्ड की जांच की गई एवं मौके की स्थिति का जायजा लिया गया जिससे यह पाया गया कि गांव कोट सोलकियान की भूमि पुराने खसरा नम्बर 201, 202, 203, 204, 207, 208, 591, 592, 593, [illegible]5, 596, 597 कुल खसरा—12 कुल रकबा 16.01 बीघा जिससे नये खसरा नम्बर 98[illegible], 988, 991, 1032, 1033, 1031 रकबा 2.80 हैक्टर भूमि श्री पूना, सविया पुत्र पदा जाति—मेणा (प्रतिवादी संख्या 1) की खातेदारी भूमि थी, जो मेणा जाति का होने से अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। जिसने उपरोक्त भूमि का हस्तान्तरण ताराराम पुत्र मोती मेगवाल व दुर्गाराम पुत्र लसा

पेज लगातार कमश—2 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:51 IST
Reason: SelfAttested

मेगवाल (प्रतिवादी संख्या 2 व 3) के नाम होने की जानकारी मिली है। इनकी जाति मेगवाल है जो कि अनुसुचित जाति के सदस्य है। इस हस्तातरण के प्रमाण स्वरूप नामान्तरण संख्या 436 दिनांक 05.11.1978 की प्रति सलग्न है।

यह है कि उपरोक्त हस्तान्तरण धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरित होने से कानूनी अवैध है। जिससे उपरोक्त तथ्यो का मध्यनजर रखते हुए यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादियो के खिलाफ उपरोक्त भूमि पर से बेदखलो का आदेश प्रदान करावे व कब्जा राज्य सरकार लिया जावे।

प्रकरण माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश, बाली में दिनांक 10.06.1983 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 06.12.1985 निर्णय दिया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण 2 व 3 के पक्ष में जो बेचान किया गया है वह स्पष्ट रूप धारा 42 बी का उल्लंघन है। ऐसी सूरत में में डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर से सादिर कि जाती है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कोटसोलकियान खसरा नम्बर 591 से 597 रकबा 16.01 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर भूमि का कब्जा राज्य सरकार कें पक्ष में लिया जाकर राजस्व रिकोर्ड में आवश्यक अमल दरामद किया जाने का निर्णय दिया।

उक्त निर्णय की अपील प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में की गई। जिसका निर्णय दिनांक 01.01. 1997 दिया जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की गई तथा पत्रावली इस आशय के साथ प्रेषित की गई कि पत्रावली में तनकियात बनाकर मामले का मैरिट पर निस्तारण किया जावे।

पत्रावली दिनांक 20.12.1999 को पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर पत्रावली में तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर शहादत वादी पटवारी हल्का कोट सोलकियान के बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा प्रतिवादी स 2 की ओर का. मु हिरालाल पुत्र ताराचन्द ने शपथ पत्र पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। निर्णय तंनकीवाईज निम्नानुसार किया जाता है–

<u>तनकी संख्या–1–</u> आया पूना, सविया पिता पदा कौम मेणा निवासी–कोट सोलकियान द्वारा प्रतिवादी [illegible] के पक्ष में किया गया बेचान धारा 42 बी राज.काश्त के विपरीत होने से क[illegible] है – जिम्मे वादी

उपरोक्त तनकीयात का भार वादी पर है। [illegible] मिसल बंदोबस्त सवत 2009 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:51 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार कमश–3 पर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अनुसार गत खसरा नम्बर 201, 202, 203, 204, 207, 208, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 कुल रकबा 12 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि पूना, सविया पुत्र पदा जाति–मेणा निवासी– कोट सोलंकियान की खातेदारी थी।जो अनुसुचित जनजाति का सदस्य है। नामान्तरकरण संख्या 437 दिनांक 5.12.1978 के अनुसार उक्त विवादित आराजी को 6000 रूपये में 02.06.1978 को बेचान किया जाने से ताराराम पुत्र मोती जाति–मेघवाल, दुर्गाराम पुत्र लच्छा जाति–मेघवाल के नाम हस्तानान्तरित की गई। जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों और कानुन के परिप्रेक्ष्य में उक्त हस्तांतरण ताराराम पुत्र मोती जी तथा दुर्गाराम पुत्र लच्छा जी जाति–मेघवाल के नाम का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने और अनुसूचित जनजाति वर्ग के खातेदार से अनुसूचित जाति वर्ग के खातेदार के नाम होने से धारा 42बी के प्रावधानों से भी अवैध है। जिससे यह तनकी वादी के पक्ष में साबित होती है।

<u>तनकी संख्या–2</u> आया वाद अवधि पार होने से काबिल खारीज है– जिम्मे प्रतिवादी

प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 10.06.1983 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दर्ज करवाया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अधीन आवेदन करने की अवधि बढाकर दिनांक 23.04.1971 को 12 वर्ष किया गया। फिर दिनांक 04.09.1981 को 30 वर्ष कर दिया गया।

नामान्तरकरण संख्या 437 दिनांक 5.12.1978 में इन्द्राज किया गया था जिससे प्रार्थना पत्र भूमिधारी तहसीलदार द्वारा वर्ष 1983 को पेश किया, जिससे प्रार्थना पत्र म्याद भीतर है। नामांतरकरण संख्या 437 प्रारम्भतः ही कानुन के विपरित होने से प्रकरण अन्दर म्याद है। प्रतिवादी इस तनकी को अपने पक्ष मे साबित कराने मे असफल रहा है अतः इस तनकी संख्या–2 का विनिश्चय एवं निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

<u>तनकी संख्या–3</u> प्रतिवादी ताराराम, दुर्गाराम द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर 05.06.1978 से कब्जा चला आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हस्तान्तरण करने पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा काश्त प्रारम्भ से ही अवैध है। जिसके संबंध में भूमिधारी तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 10.06.1983 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दर्ज करवाया गया था। उक्त भूमि का हस्तान्तरण धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 कब्जे के आधार पर किसी प्रकार का लाभ पाने का अधिकारी नही है। अतः तनकीयात भी प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित कराने मे असफल रहा है अतः इस तनकी संख्या–2 का विनिश्चय एवं निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

पेज लगातार कमश–4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:51 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर देसूरी (पाली)

उपरोक्त रूपेण तनकी संख्या–1 वादी के पक्ष मे एवं तनकी संख्या– 2 व 3 का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किये जाने से एवं वादी द्वारा सक्षम साक्ष्य से अपने वाद को साबित कराये जाने के परिणामस्वरूप वाद वाद स्वीकार योग्य एवं बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री योग्य मानता हूँ।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर बहक प्रार्थी वादी, विरूद्ध अप्रार्थीगण –प्रतिवादी गण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि– मौजा सरहद ग्राम– कोट सोलकियान तहसील– देसूरी स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर 201, 202, 203, 204, 207, 208, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 कुल खसरा–12 कुल रकबा 16.01 बीघा जिससे नये खसरा नम्बर 987, 988, 991, 1032, 1033, 1031 रकबा 2.80 हैक्टर भूमि भूमि राज्य सरकार मे निहित की जाती है अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को इस पर से बेदखल किया जाकर कब्जा राज्य हित मे लिया जावे एवं राजस्व अभिलेख मे इसे राजकीय भूमि सिवाय चक दर्ज की जावे। तदनुरूप अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 24.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:51 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

प्रार्थी(वादी)–

राजस्थान सरकार जरिये– तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण(प्रतिवादीगण)–

1. पूना, सविया पुत्र पदा जाति–मेणा निवासी–कोट सोलकियान
2. ताराराम पुत्र मोतीजी मेगवाल के कायम मुकाम
   2/1 छगनीदेवी पत्नी ताराराम
   2/2 हीरालाल पुत्र ताराराम
   2/3 महेन्द्र पुत्र ताराराम
   2/4 पुष्पा पुत्री ताराराम
   2/5 सन्तोष पुत्री ताराराम
   2/6 भावना पुत्री ताराराम निवासीगण–कोट सॉलकियान

दुर्गाराम पुत्र लछाजी मेगवाल निवासी–बासनी तहसील–खारची

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :– 06/2002

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री तहसीलदार देसूरी मुदई ..... मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद ग्राम– कोट सोलकियान तहसील– देसूरी स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर 201, 202, 203, 204, 207, 208, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 कुल खसरा–12 कुल रकबा 16.01 बीघा जिससे नये खसरा नम्बर 987, 988, 991, 1032, 1033, 1031 रकबा 2.80 हैक्टर भूमि भूमि राज्य सरकार मे निहित की जाती है अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को इस पर से बेदखल किया जाकर कब्जा राज्य हित मे लिया जावे एवं राजस्व अभिलेख मे इसे राजकीय भूमि सिवाय चक दर्ज की जावे।

उपरोक्तानुसार तद्नुसार तहसीलदार देसूरी एवं रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:51 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार कमश–2 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **24** माह **अगस्त** सन् **2020** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी महलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक मिजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:51 IST
Reason: SelfAttested